लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 6134
जिसका उत्तर मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017 को दिया जाएगा

उपभोक्ता न्यायालय

6134. श्री रामा किशोर सिंहः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, ताकि उपभोक्ता न्यायालयों को प्रभावी और उपभोक्ता हितैषी बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उपभोक्ता न्यायालयों के विस्तार हेतु आवंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार सहित संपूर्ण देश में उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के लिए परामर्शदात्री/विधिक सहायता केन्द्रों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मापदण्ड के अनुसार उपभोक्ता फोरमों में आवश्यक न्यायधीशों की संख्या कितनी है और राज्य-वार वर्तमान न्यायधीशों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई नीति तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ताओं को कितनी राशि दी गई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच और राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करने और उनके सुचारू कार्यकरण के लिए अवसंरचनात्मक ढांचे के साथ-साथ जनशक्ति उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का है। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों को उपभोक्ता मंचों के सुचारू कार्यकरण के लिए बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय सहायता और उपभोक्ता मंचों के कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीकी जनशक्ति प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को, उपभोक्ता मंचों में उचित समय पर अध्यक्ष/सदस्यों के रिक्त पदों के भरने के लिए परामर्श जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता संरक्षण विधायन के और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए, केंद्र सरकार द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015 पहले ही संसद में पेश किया जा चुका है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उपभोक्ता मंचों में बेहतर और प्रभावी न्याय-निर्णयन प्रक्रिया के लिए विविध उपबंधों का प्रावधान करने की परिकल्पना की गई है।

(ख): देश में उपभोक्ता मंचों के विस्तार के लिए, वर्ष 2016-17 के दौरान, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों को 9.65 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की गई और उपभोक्ता मंचों के सुदृढ़ीकरण के लिए, वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में 17 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जो कि, शीर्षस्थ उपभोक्ता मंच है, में एक अध्यक्ष और 11 सदस्यों के स्वीकृत पद हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, किसी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक अध्यक्ष और कम-से-कम दो सदस्य और किसी जिला मंच में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे। उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई हैं।

(ङ): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उपभोक्ता मंचों में रिक्तियों को भरने का उत्तरदायित्व राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में संभावित रिक्त पदों को भरने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

(च): विभाग द्वारा, उपभोक्ता मंचों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

******

अनुलग्नक

"उपभोक्ता न्यायालय" के संबंध में लोकसभा के दिनांक 11.04.2017 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6134 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित विवरण

राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों में रिक्तियों की स्थिति

राष्ट्रीय आयोग	स्वीकृत पद		रिक्तियों की स्थिति	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
	1	11	0	2

क्रम सं.	राज्य	राज्य आयोग			
		स्वीकृत पद		रिक्तियों की स्थिति	
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
1	असम	1	2	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	2	0	2
3	अरुणाचल प्रदेश	1	2	0	0
4	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	2	0	0
5	बिहार	1	2	0	0
6	चंडीगढ़	1	2	0	0
7	छत्तीसगढ़	1	2	0	0
8	दमन और दीव	0	0	0	0
9	दादरा और नगर हवेली	1	2	0	0
10	दिल्ली	1	4	0	0
11	गोवा	1	2	0	0
12	गुजरात	1	5	0	0
13	हरियाणा	1	4	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	1	2	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	1	2	0	0
16	झारखंड	1	2	0	0
17	कर्नाटक	1	2	0	0
18	केरल	1	4	0	0
19	लक्षद्वीप	1	2	0	1
20	मध्य प्रदेश	1	3	0	1
21	महाराष्ट्र	1	11	0	0
22	मणिपुर	1	2	0	0
23	मेघालय	1	2	0	0
24	मिजोरम	1	2	0	1
25	नागालैंड	1	2	0	0
26	ओडिशा	1	2	0	0
27	पुडुचेरी	1	2	0	0
28	पंजाब	1	7	1	0
29	राजस्थान	1	10	0	4
30	सिक्किम	1	2	0	0
31	तमिलनाडु	1	4	0	2
32	तेलंगाना	1	2	0	1
33	त्रिपुरा	1	2	0	0
34	उत्तर प्रदेश	1	10	0	0
35	उत्तराखंड	1	2	0	0
36	पश्चिम बंगाल	1	6	0	0
कुल		**35**	**116**	**1**	**12**

क्रम सं.	राज्य	जिला मंच			
		स्वीकृत पद		रिक्तियों की स्थिति	
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
1	असम	23	46	3	8
2	आंध्र प्रदेश	17	34	2	26
3	अरुणाचल प्रदेश	18	36	0	11
4	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	1	2	0	0
5	बिहार	38	76	0	21
6	चंडीगढ़	2	4	0	0
7	छत्तीसगढ़	12	54	1	9
8	दमन और दीव	2	4	0	2
9	दादरा और नगर हवेली	1	2	0	2
10	दिल्ली	10	20	2	5
11	गोवा	2	4	0	0
12	गुजरात	26	52	6	4
13	हरियाणा	21	42	0	7
14	हिमाचल प्रदेश	4	24	0	11
15	जम्मू और कश्मीर	2	4	0	0
16	झारखंड	22	44	1	8
17	कर्नाटक	31	62	4	16
18	केरल	14	26	1	1
19	लक्षद्वीप	1	2	0	1
20	मध्य प्रदेश	24	108	0	44
21	महाराष्ट्र	40	80	8	8
22	मणिपुर	3	6	0	0
23	मेघालय	7	14	0	2
24	मिजोरम	8	16	0	3
25	नागालैंड	11	22	0	15
26	ओडिशा	31	62	0	0
27	पुडुचेरी	1	2	0	0
28	पंजाब	20	40	9	11
29	राजस्थान	37	74	10	18
30	सिक्किम	4	8	0	0
31	तमिलनाडु	25	60	11	12
32	तेलंगाना	12	24	10	20
33	त्रिपुरा	4	8	0	0
34	उत्तर प्रदेश	79	158	9	15
35	उत्तराखंड	13	26	0	3
36	पश्चिम बंगाल	21	42	2	7
कुल		587	1288	79	290